

श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-  
13.05.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 09:30 बजे संपन्न प्रशाखा-01 की समीक्षात्मक  
बैठक की कार्यवाही

### उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव, खेल विभाग।
3. श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक, खेल विभाग।
4. श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
5. श्री अविनाश शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
6. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
7. सुश्री रुचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
8. श्री सरोज कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय।
9. श्री रवि कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, खेल विभाग।

### I. सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

#### (1) निदेशालय का गठन

प्रशाखावार विभाग से आवश्यक संचिकाओं को प्राप्त कर निदेशालय को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने तथा क्षेत्रीय कार्यालय के स्थापना से संबंधित सभी संचिका निदेशालय को हस्तांतरित करने की कार्रवाई विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी-01 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ई-ऑफिस के माध्यम से उपस्थापित संचिकाओं की संख्या के साथ प्रत्येक बैठक में उपस्थित होंगे।

प्रत्येक प्रशाखावार बैठक में निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

*Pkn*  
14.05.26

## (2) आयोग को प्रेषित अधियाचनाएँ

### (क) विभाग एवं निदेशालय के पदों

#### I. बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल स्वीकृत पद— 380 है, जिसमें 379 पद रिक्त है। 379 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार लिखित परीक्षा का संभावित समय मई, 2026 है।

निदेशक द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अर्द्ध-सरकारी पत्र भेजा जाय।

#### II. बिहार खेल सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल सेवा संवर्ग के मूल कोटि के कुल पद—44 है। जिसमें प्रोन्नति हेतु स्वीकृत पद—11 एवं रिक्त पद 33 है। 33 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को भेजी जा चुकी है।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा बताया गया कि परीक्षा संपन्न करायी जा चुकी है। परीक्षाफल इस माह के अंत तक प्रकाशित होने की संभावना है।

#### III. बिहार खेल लिपिकीय सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल लिपिकीय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर निम्नवर्गीय लिपिक के कुल स्वीकृत पद—80 है। जिसमें सीधी भर्ती हेतु पद—68, कार्यरत बल—12, सीधी नियुक्ति के आधार पर कोटिवार कार्यरत पद— 15 इसके पश्चात् रिक्त पद—53 है। 53 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार लिखित परीक्षा का संभावित तिथि जून—जुलाई—2026 दिया गया है।

Pkn

निदेशक द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अर्द्ध-सरकारी पत्र भेजा जाय।

**(ख) राज्य खेल अकादमी, राजगीर**

कुल 81 पद स्वीकृत है। बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर के लिए स्वीकृत कुल 81 पदों में से 02 पदों के नियुक्ति नियमावलियों का गठन किया गया है

निम्नवर्गीय लिपिक के लिए कुल पद- 10 हैं, जिसमें कार्यरत पद एक भी नहीं है। 10 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि जून-जुलाई, 2026 दिया गया है।

राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग के कुल- 48 पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को भेजी जा चुकी है एवं आयोग द्वारा विज्ञापन (विज्ञापन सं0-33/2025) प्रकाशित किया जा चुका है।

निदेशक द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को अर्द्ध-सरकारी पत्र भेजा जाय।

**(ग) प्रतिनियुक्ति के शेष पद निम्न है:-**

**I. वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific officer)**

उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु अपर मुख्य सचिव स्तर से अर्द्ध-सरकारी पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

**(घ) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना**

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा कुल 301 पदों का प्रस्ताव निर्गत हो चुका है। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया गया है और कार्यकारणी समिति से अनुमोदन किया जा चुका है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से HR Manual पर सहमति दी गई है। संचिका वित्त विभाग को भेजी दी गई है। वित्त विभाग से संशोधन/समीक्षा के परामर्श

के साथ संचिका वापस प्राप्त हुई है। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अपेक्षित संशोधन करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से अनुरोध किया गया।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से संशोधित **HR Manual** प्राप्त हो चुका है। जिसे वित्त विभाग भेजा गया।

बि०रा०खे०प्रा०, पटना के कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक— 25.05.2026 (सोमवार) पूर्वाह्न—10:30 बजे आयोजित किये जाने का निदेश दिया गया।

### (3) सेवान्त लाभ

(क) पूर्व से लंबित सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामले का निष्पादन 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि सेवानिवृत्त संबंधी सभी मामले का निष्पादन हो गया है। यदि कोई मामला लंबित है तो स्पष्ट कारण दर्शाते हुए संचिका में प्रस्तुत करेंगे।

(ख) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों, पदाधिकारियों की सूची तैयार कर संचिका में प्रस्तुत करेंगे। उन सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से सेवानिवृत्त संबंधी सभी कागजात प्राप्त कर सेवान्त लाभ को ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाखा पदाधिकारी-01 को निदेशित किया गया कि 31 दिसम्बर 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची अवलोकनार्थ हेतु अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

### (4) ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी०

खेल विभाग में ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, जिस पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। उक्त संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

Ek

## (5) न्यायालय से संबंधित मामले

(क) माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामले की सूची सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार की जायेगी।

(ख) यदि न्यायालय आदेश के अनुपालन की आवश्यकता है तो अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि अपील करने की या आदेश का संशोधन करने की आवश्यकता है तो विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर अपील दायर करने की कार्रवाई की जाय।

(ग) न्यायालय का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह का लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

## (6) अवकाश

(क) सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव अवकाश के लिए आवेदन संचिका के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित करेंगे।

(ख) अतिआवश्यक परिस्थिति को छोड़कर बैठक के दिन (सोमवार एवं बुधवार) को कोई भी कर्मी अवकाश में नहीं रहेंगे।

(ग) वर्ग चार के कर्मियों का अवकाश संयुक्त सचिव स्वीकृत करेंगे।

## II. सामान्य प्राथमिकताएँ

### (1) कार्यालय में उपस्थिति (Biometric Attendance)

सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से (Biometric Attendance) उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखावार तैयार कर प्रत्येक बुधवार को प्रस्तुत करेंगे।

पदाधिकारियों/कर्मियों के समय पर कार्यालय आने-जाने में सुधार नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाय।

Pki

कार्यालय अवधि के बाद कार्यालय आने-जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में प्रायः देखा जा रहा है कि कुछेक पदाधिकारियों/कर्मियों विलम्ब से कार्यालय आते-जाते हैं। निदेश दिया जाता है कि एक माह में दो दिन विलम्ब होने पर एक आकास्मिक अवकाश की कटौती की जाय। तदोपरांत सुधार नहीं होने की स्थिति में एक दिन का वेतन कटौती की जाय।

(2) लंबित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव के समक्ष उपस्थापित करना निर्धारित प्रपत्र में प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० का साप्ताहिक लंबित पत्रों का प्रतिवेदन संचिका में संधारित करते हुए सचिव के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जाय।

श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रशाखा-1 से संबंधित लंबित पत्रों का प्रतिवेदन दिनांक-11.05.2026 (सोमवार) को उपस्थापित किया गया।

### (3) निरीक्षण

#### (क) पटल निरीक्षण

प्रत्येक सप्ताह प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रशाखा के किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० एवं अवर सचिव द्वारा किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण किया जायेगा एवं पटल निरीक्षण प्रतिवेदन अपर मुख्य सचिव के समक्ष संचिका में उपस्थापित करें।

पटल निरीक्षण/प्रशाखा निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) की संचिका प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से उपस्थापित कर दिये जाने का निदेश दिया गया।

श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी- 01 द्वारा श्री अविनाश शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण दिनांक-11.05.2026 (सोमवार) को किया गया।

### (ख) प्रशाखा निरीक्षण

संयुक्त सचिव द्वारा प्रशाखा का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार किया जाना है तथा प्रशाखा निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित करते हुए निदेशक के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अवर सचिव किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय/निम्नवर्गीय लिपिक का निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन अपर मुख्य सचिव कोषांग को बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव द्वारा श्री रवि कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक का लॉगबुक का निरीक्षण दिनांक-11.05.2026 (सोमवार) को किया गया।

### (4) स्वच्छता

सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी अपने टेबुल, दराज, रैक इत्यादि में संचिका सहेज कर रखेंगे एवं स्वच्छता बनाये रखेंगे।

### (5) प्रशाखा की उपलब्धि

खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर का वर्ष 2025-26 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेकित करते हुए एक पुस्तिका तैयार किया जाना है।

## III. नवाचार

### (1) ई-ऑफिस

प्रत्येक प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जो संचिकाओं का स्कैनिंग हो चुका है, वह किसी भी स्थिति में ई-ऑफिस के माध्यम से ही उपस्थापित किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि 1110 संचिकाओं के स्कैनिंग का कार्य सम्पन्न के पश्चात् संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों के आई0डी0 में भेजा जा चुका है।

शेष संचिकाओं को पदाधिकारियों/कर्मियों के आई0डी0 में एक सप्ताह के अन्दर भेजे जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश आई0टी0 मैनेजर को दिया गया।

उक्त के संबंध में आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किया गया कि यह सुनिश्चित हो ले कि सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के आई0डी0 पर संचिका अद्यतन है या नहीं?

## (2) हस्तलेखन कार्य

सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक अपने कार्य से संबंधित 05 पृष्ठ हस्तलेखन तिथिवार (सोमवार से शुक्रवार) करेंगे। हस्तलेखन का प्रतिवेदन सोमवार को संचिका में उपस्थापित करेंगे। हस्तलेखन की जाँच प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा एवं अवलोकन हेतु सचिव के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

निदेशालय के पदाधिकारियों/कर्मियों के हस्तलेखन से संबंधित संचिकाओं का निष्पादन निदेशक के स्तर से किये जाने का निदेश दिया गया।

## (3) टंकण कार्य

सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर से संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है।

प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक को हिन्दी में टंकण की गति 35-40 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया है। इस संबंध में सभी को निदेशित किया जाता है कि एक माह के अंदर हिन्दी में टंकण की गति 35-40 शब्द प्रति मिनट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।

## (4) सुलभ संगणक (Ready Reckoner)

सुलभ संगणक 3.0 को इस वर्ष तैयार किया जाना है। इस हेतु विभाग से निर्गत सभी नियमों को समेकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।

### (5) iGOT Portal पर प्रशिक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये पत्र के आलोक में सभी पदाधिकारी/कर्मि प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आई0टी0 प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे।

### (6) कार्यालय सुदृढ़ करने हेतु निदेश

बिहार सरकार के अन्तर्गत सभी विभागान्तर्गत होने वाले कार्यों की जानकारी रखने हेतु निम्नांकित विषयों से संबंधित कार्य की तैयारी की जांच शुरू किया जाना है।

1. संक्षेपण एवं प्रारूपण
2. संलेख प्रारूप
3. संकल्प प्रारूप
4. अधिसूचना प्रारूप
5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप
6. आवंटनादेश प्रारूप
7. अर्द्ध-सरकारी पत्र
8. ई-ऑफिस के माध्यम से संचिका उपस्थापन इत्यादि

उपर्युक्त के संबंध में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिकों से उक्त के संबंध में लिखित जांच करते हुए संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। इस कार्य का अनुश्रवण श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव करेंगे।


### (7) बैठक संबंधी निदेश

विभागीय प्रशाखावार की समीक्षात्मक बैठक सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में निदेशक के द्वारा तथा निदेशक के अवकाश/ व्यस्तता की स्थिति में संयुक्त सचिव के द्वारा एवं संयुक्त सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में अवर सचिव द्वारा किया जाय।

Ek'

**(IV) समस्या / सुझाव**

प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भी समस्या एवं सुझाव है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही उस समस्या का समाधान हेतु सुझाव भी दिया जायेगा।


  
(आरिफ अहसन)

निदेशक।

ज्ञापांक-01 / स्था0-10(बैठक)-02 / 2026.1849

पटना / दिनांक-20.5.2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


  
निदेशक।

ज्ञापांक-01 / स्था0-10(बैठक)-02 / 2026.1849

पटना / दिनांक-20.5.2026

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना / कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर / निदेशक (खेल) / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा एवं योजना) / प्रशाखा पदाधिकारी-01 / आई0टी0 मैनेजर / सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक।

  
14.05.26